



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(18)पंरावि/प्रशा.1/पैतृक कार्यमुक्त/वि.अ./2010/2088

जयपुर, दिनांक 4/11/19

आदेश

श्री नंदलाल शर्मा, विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर जिला भरतपुर की प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (कृषि) को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री शर्मा विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र क्रमांक 1600 दिनांक 09.8.19 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग(मुख्यालय) पर प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त भरतपुर।
9. जिला कलेक्टर भरतपुर।
10. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर जिला भरतपुर।
12. ए.सी.पी कम्प्युटर सैल, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)